पत्र संख्या-स्था-5(ख)-स्थानान्तरण नीति-2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26// 887 // राज्य कर
कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 24 मई, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2025-26 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण।

शासनादेश संख्या-1/2025/119(1)/सामान्य/सैतालिस-का-4-2025-1/3/96 दिनांक 06-05-2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2025-26 जारी की जा चुकी है। अतः राज्य कर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्न दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा ली जाये :-

1- (i) समूह ग के कार्मिकों के जोन के बाहर स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें। इसी प्रकार जोन के अर्न्तगत एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें।

(ii) समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेगें। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेगें। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत है, उन कार्मिकों को 10 प्रतिशत की सीमा में पहले लिया जायेगा।

(iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेगें।

(iv) समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानो से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाए।

(v) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये।

02- राज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि 15 जून तक अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से जोन के बाहर स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

03- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (समूह ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत पटल परिवर्तन/ क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैतालीस-4-2022-(1-3-96) दिनांक 13-05-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** तथा मुख्यालय के पत्र संख्या-1191 दिनांक 10-06-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा जारी निर्देशों एवं शासनादेश संख्या-1/2025/119(1)/सामान्य/सैतालिस-का-4-2025-1/3/96 दिनांक 06-05-2025 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही करेगें।

04- किसी अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवस्यक बच्चों के पालन पोषण/ देखभाल इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/ कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/ समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

मंदित बच्चों/ चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहा चिकित्सक

कार्मिकों, जिनके आश्रित परिवारीजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के करने पर विचार किया जा सकता है।

06- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरूद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये। इसके अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों के जोन से बाहर स्थानान्तरण करने हेतु तर्कसंगत प्रस्ताव संलग्न प्रारुप-ख में जोनल अपर आयुक्त के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जाये।

07- जोन के बाहर स्वेच्छा आधार पर स्थानान्तरण हेतु समस्त अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र / विकल्प संलग्न प्रारुप-क में कर्मचारी द्वारा अपने नियंत्रक, सम्भागीय अधिकारी के समक्ष 02 जून तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसे सम्भागीय अधिकारी द्वारा संकलित करके अपने जोनल अपर आयुक्त को 04 जून तक प्रेषित किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण की कार्यवाही अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्यकर, उत्तर प्रदेश के स्तर से की जानी है, तब इन आवेदन पत्रों को सम्भागीय / जोनल अधिकारी के स्पष्ट मत / संस्तुति सहित मुख्यालय पर संवर्गवार पृथक-पृथक आवरण पत्रों के माध्यम से दिनांक 06 जून तक **आफलाइन अथवा मेल आईडी-cta3comhqlu-up@nic.in** पर प्रेषित किये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यतः स्थानान्तरण के प्रस्ताव / प्रार्थना-पत्र प्रेषित न किये जायें।

08- वर्ष 2024-25 में जिन कार्मिकों द्वारा अपने संवर्ग में अथवा अन्य संवर्ग में की गयी पदोन्नति के पद को फोरगो करते हुये किन्ही कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है और इस प्रकार की पदोन्नति को मुख्यालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिकों को उनके वर्तमान पटल / कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा। ऐसे कार्मिकों की तैनाती कर निर्धारण / सचल दल / अपर आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भी भविष्य में नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यदि किसी कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति को फोरगो किया जाता है तो उसे तत्काल उसके वर्तमान तैनाती कार्यालय / पटल से उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अतः पदोन्नति फोरगों करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही अधिकृत जोनल अपर आयुक्त के स्तर पर सम्पादित करायी जायें।

09- भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से सम्बन्धित 08 जिले-चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहॉ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाये।

10- सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश/मण्डल/जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जाये। किन्तु लापरवाह/भ्रष्टाचार/अपरिहार्य परिस्थितियों की दशा में सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त यथावश्यक स्थानान्तरण किया जा सकेगा। जिन कार्मिकों का नीति में अधिकतम कार्यकाल (03 वर्ष/07 वर्ष) परिभाषित है, वह कार्मिक यदि 02 वर्ष से अधिक समय के लिए अध्यक्ष/ सचिव के पद पर निर्वाचित होता/ रहता है तो उसे स्थानान्तरण नीति में यह छूट उक्त अधिकतम कार्यकाल समाप्त होने के सत्र से अधिकतम 02 वर्ष तक ही मिल पायेगी।

समूह ग एवं समूह घ श्रेणी के कार्मिक यदि 02 वर्ष से अधिक समय के लिये अध्यक्ष/ सचिव के पद पर निर्वाचित होता/ रहता है तो उसे यह सुविधा उनके किसी जनपद के कार्यकाल की अवधि के आधार पर इस नीति के अनुसार स्थानान्तरण परिधि में आने वाले सत्र में अधिकतम 02 वर्ष तक मिल सकेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त सेवा संघों के पदाधिकारियों का शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार पटल/ क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जायेगा तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक प्राधिकारी की होगी।

11- स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाये तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाये।

12- राज्य कर मुख्यालय तथा वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय को स्थानान्तरण की दृष्टि से एक ही कार्यालय माना जाएगा।

13- स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च, 2025 को माना जायेगा।

14- चूँकि मनोरजन कर का संविलयन राज्य कर विभाग में किया जा चुका है। अतः सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि पूर्व मनोरंजन कर से सम्बन्धित कार्य भी सुचारु रुप से चलता रहें।

स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के लिये स्थानान्तरण / पटल परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों / निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तद्नुसार संशोधित माने जायें।

<u>संलग्नक :-</u> उपरोक्तानुसार (शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति-2025-26 ,
शासनादेश दिनांक 13-05-2022, मुख्यालय का पत्र दिनांक-10-06-2022
<u>तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्धारित प्रारुप-क व ख)</u>

24.5.25

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक // उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम) आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अवलोकनार्थ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
7- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0/संग्रह) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
9- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
11- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12- पटल प्रभारी-स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(क) / स्था-5(ग) / स्था-3 (क)/ स्था-3(ख) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 06 मई, 2025

विषय:- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या-4/2024/144-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2024-1/3/96, दिनांक 11.06.2024 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2024-25 के लिये स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुये सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2025-26 निर्धारित की जाती है।

2. समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

i. जनपदों में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपद से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाय। विभागाध्यक्ष / मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को स्थानान्तरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा। मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण पहले किए जायेंगे।

ii. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं तो मुख्यालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए किन्तु जनपदों, मण्डलों तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों, मण्डलों तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाए।

iii. उपरोक्तानुसार समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक ही किये जा सकेंगे तथा इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन कार्मिकों को 20 प्रतिशत की सीमा में रखते हुये उनका स्थानान्तरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

अपरिहार्यता होने पर मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।

संवर्गवार प्रतिशत की गणना संबंधित संवर्ग में कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या को आधार मानकर की जायेगी, इस हेतु संबंधित संवर्ग में स्वीकृत पदों को आधार नहीं माना जायेगा। यह गणना दिनांक 01.04.2025 को संवर्ग में कुल कार्यरत अधिकारियों के आधार पर की जायेगी।

iv. समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे। इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुपालन की स्थिति से मा0 विभागीय मंत्री से विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जायेगी।

v. स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त समूह 'क' एवं समूह 'ख' के कार्मिकों के संबंध में मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण किया जाए।

3. समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

i. समूह 'ग' के कार्मिको के स्थानान्तरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।

ii. समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उन कार्मिकों को 10 प्रतिशत की सीमा में पहले लिया जायेगा।

समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरणों में नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की स्थिति से मा0 विभागीय मंत्री से भी विचार-विमर्श करके कार्यवाही की जाये।

iii. स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

iv. समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल / जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाएं।

v. इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन / क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों का पटल / क्षेत्र परिवर्तन (प्रदेश / मण्डल / जनपद स्तर) किये जाने की कार्यवाही कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

4. अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत:-

i. संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।

ii. समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा किन्तु समूह 'क' के ऐसे अधिकारियों, जिनके पद मण्डल स्तरीय हैं, उन्हें उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

iii. समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों / कार्यालयों में लागू होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधित 08 जिलों-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकासखण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।

v. स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यत: स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।

vi. स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च, 2025 को माना जायेगा।

vii. यह स्थानान्तरण नीति उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नहीं होगी।

viii. यदि किसी विभाग से संबंधित कोई अन्य कार्यालय उस जनपद में है तो निर्धारित अवधि के पश्चात कार्मिक को उस अन्य कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी भी तैनात किया जा सकेगा किन्तु इसे स्थानान्तरण की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

यदि किसी विभाग का जनपद में कोई अन्य कार्यालय नहीं हैं तो शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार कार्मिक का पटल / क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकेगा।

5. विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे:-

i. प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे परन्तु इस संबंध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ii. प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में प्राप्त रिक्त पदों पर स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। यदि किसी कार्मिक को प्रोन्नति के उपरांत किसी अन्य स्थान पर रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त किया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्थानान्तरण नीति से आच्छादित नहीं माना जायेगा तथा प्रोन्नति के पश्चात रिक्त पदों पर तैनाती नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से की जा सकेगी।

परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के स्थानान्तरण पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो।

iii. किसी अधिकारी / कर्मचारी के व्यक्तिगत कारणों जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा, शासकीय सेवा के दौरान मृत माता या पिता के अवस्यक बच्चों के पालन पोषण / देखभाल इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी / कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण / समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद / नगर / स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

iv. मंदित बच्चों / चलन क्रिया से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण-पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो या जहां से उनकी उचित देखभाल हो सके। दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

करने पर विचार किया जा सकता है।

v. 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय। इसके लिये पूर्व में उस मण्डल / जनपद में उसकी तैनाती अवधि को संज्ञान में न लिया जाये।

6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है तो मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7. वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2025-2026 में शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के **समस्त स्थानान्तरण दिनांक 15 मई, 2025 से प्रारम्भ करते हुए दिनांक 15 जून, 2025 तक पूर्ण कर लिये जाये।**

8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9. समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासंभव मेरिट बेस्ड आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किया जाय।

मेरिट बेस्ड स्थानान्तरण किये जाने हेतु वरीयता निर्धारण, भारांक का निर्धारण शासनादेश संख्या-8/2023/405/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96, दिनांक 03 अगस्त, 2023 के अनुसार जायेगा।

10. सीधी भर्ती की नव नियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में नहीं गिना जायेगा। परन्तु इस हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार की तैनाती पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ सिद्धान्त के अनुसार हो और यथासंभव आनलाइन पद्धति से हो। सीधी भर्ती के नवनियुक्त कार्मिकों को आकांक्षी जनपदों/ विकासखण्डों में तैनाती प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र में किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जायेगा।

11. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

i. स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

ii. स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वत: कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

iv. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational District Scheme) से संबंधित 08 जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./ आई.पी.एस./ आई.एफ.एस. / पी.सी.एस. एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

v. भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय।

vi. आकांक्षी (Aspirational) जनपद तथा आकांक्षी विकास खण्डों में समस्त रिक्त पद प्राथमिकता से भरे जायें।

vii. कार्मिक के आनलाइन स्थानान्तरण के फलस्वरूप उसके स्थानान्तरण आदेश, कार्यमुक्ति या स्वत: कार्यमुक्ति के आदेश, कार्यभार-ग्रहण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने पर ही संबंधित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा।

viii. यदि स्थानान्तरण आदेश ऑफलाइन किया जाता है तो भी उसकी प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्यभार-ग्रहण आदि के संबंध में उपरोक्त प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के प्रदेश / मण्डल / जिला स्तर के अध्यक्ष एवं सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 2 वर्ष तक न किये जायें। किन्तु उक्त पदाधिकारियों को यह सुविधा देने का अर्थ यह नहीं है कि जनहित के विरूद्ध कार्य करने, कदाचार अथवा भ्रष्ट आचरण करने पर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

लापरवाही, भ्रष्टाचार व आपराधिक कृत्य, अनुशासनहीनता व दुराचरण में लिप्त होने के पुष्टिकारक तथ्य लाये जाने पर या ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने पर निम्न प्रक्रिया का पालन करते हुये उक्त पदाधिकारियों को पूरे सत्र में कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा:-

i. जनपद में तैनात सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण संबंधित जिलाधिकारी एवं मण्डल में कार्यरत पदाधिकारी का स्थानान्तरण मण्डलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम स्तर से किये जा सकेंगे।

ii. मुख्यालय स्तर पर सेवा संघों के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरांत शासन स्तर से किया जा सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सेवा संघों के उक्त पदाधिकारियों का शासनादेश दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार पटल / क्षेत्र परिवर्तन अवश्य किया जायेगा तथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक प्राधिकारी की होगी।

13. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए।

14. चार्ज नोट:-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अत: स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण प्रकरणों / विकास कार्यक्रमों / परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

15. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

16. इस स्थानान्तरण नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

17. उपरोक्त स्थानान्तरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्धन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किया जा सकेगा।

भवदीय,
एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1/2025/119(1)/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2025-1/3/96, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
कुलदीप कुमार रस्तोगी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-[illegible]

प्रेषक,

[illegible],
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र० ।

[illegible] अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2022

विषय: समूह ग के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरांत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन किया जाना ।

महोदय,

सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाये रखने के दृष्टिगत पूर्व में शासन स्तर से समय-समय पर इस आशय के आदेश निर्गत किये गये हैं कि समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/ क्षेत्र परिवर्तन कर दिया जाय। शासन के संज्ञान में यह आया है कि अभी भी उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात / कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र-परिवर्तन प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अनिवार्य रूप से कर दिया जाय। कृपया कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) सभी विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष यह देखेंगे कि पटल/ क्षेत्र परिवर्तन की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन हो। संवेदनशील/ लोक व्यवहार के पदों के संबंध में भी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाय ।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पटल/क्षेत्र परिवर्तन करने के पश्चात अनौपचारिक रूप से संबंधित पटल/ क्षेत्र पर पूर्व में तैनात कार्मिक का प्रभाव न बना रहे या वह अनौपचारिक रूप से या औपचारिक रूप से संबद्ध होकर वहाँ कार्य संपादन पूर्व की भांति न करता रहे ।

(3) कार्मिकों के पटल/ क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों द्वारा यह प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष को 30 जून तक प्रेषित कर दिया जायेगा कि उनके अधीन 03 वर्ष से अधिक अवधि का कोई कार्मिक एक ही पटल/ क्षेत्र में तैनात नहीं है।

(4) इसी प्रकार विभागाध्यक्ष भी शासन को यह प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 30 जून तक देंगे कि उनके अधीन मुख्यालय में 03 वर्ष से अधिक कार्मिकों का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन कर दिया गया है ।

(5) यदि किसी कार्मिक का शासकीय कार्यहित में पटल/ क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने की अपरिहार्य परिस्थिति हो, तो इस संबंध में उन अपरिहार्य परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये एक

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

निश्चित अवधि हेतु संबंधित कार्मिक का पटल/ क्षेत्र परिवर्तन न किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 8/2022/सा0-119/सैंतालीस-4-2022-(1/3/96) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 ।
(2) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 ।
(3) निजी सचिव, मा मंत्रिगण, उ0 प्र0 ।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उ0 प्र0 ।
(6) निदेशक, सूचना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ ।
(7) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
(8) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण-2022-23 // 1151 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10 जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या- 8/2022/सा0-119/सैतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13-05-2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट
करें जिसके द्वारा समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन
प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रुप से किये जाने हेतु आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त पत्र
संख्या-962 दिनांक 27-05-2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

शासन के पत्र दिनांक 13-05-2022 में दिये गये निर्देशानुपालन में समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं
क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये
जाते हैं :-

1- शासन के उपरोक्त पत्र के माध्यम से स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में समूह ग के कार्मिकों के मुख्यालय/ जोन के
अन्तर्गत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों को दिनांक 30 जून करने के निर्देश
दिये गये है। चूँकि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक अपर आयुक्त ग्रेड-1 तैनात हैं,
अतः यहां तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की
कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनों जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1
तथा दोनों जोन के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सदस्य होगें।

2- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष
ख- वि0अनु0शा0 एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष
ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष
घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष
ङ- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर कार्यालय तथा टैक्स आडिट कार्यालय को भी कर निर्धारण
कार्यालय की परिधि में माना जाये।
(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने
की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)

3- सचलदल से वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत
वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हें 03 वर्षों तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके
अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" श्रेणी के जिन कार्मिकों को दूषित
कार्यप्रणाली के कारण उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ऐसे कार्मिकों को भी जनहित / राजस्व हित में इन
इकाईयों में तैनात न किया जाये।

4- विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती मुख्यालय के पत्र संख्या-1035 दिनांक 19-06-2015 द्वारा
किये गये पदवार आवंटन के अनुरूप की जायेगी एवं किसी भी कार्मिक का अन्य कार्यालय में सम्बद्धीकरण
किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दबाव डलवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आच अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही है तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने है संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरुद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये।

05/06/2022

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या :: एवं दिनॉक :: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अवलोकनार्थ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्वेच्छा आधार पर अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों का एक जनपद/जोन से दूसरे जनपद/ जोन में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रारुप-क

1. कर्मचारी का नाम एवं आई0डी0नं0 --
2. पदनाम --
3. गृह जनपद --
4. विभाग में नियुक्ति की तिथि ---------------------------------- सेवानिवृत्त की तिथि ------------------------------
5. वर्तमान तैनाती कार्यालय का पूरा नाम (जनपद सहित) : --
6. वर्तमान तैनाती कार्यालय में कब से तैनात है : --
7. वर्तमान जोन में कब से तैनात है : --
7. विगत 05 वर्षों में कर्मचारी की तैनाती का विवरण :-

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक.............से दिनांक...............तक)
1	2020-21		
2	2021-22		
3	2022-23		
4	2023-24		
5	2024-25		

8. स्थानान्तरण हेतु अपेक्षित जनपद/जोन का नाम (वरीयता क्रम में):- --
9. स्थानान्तरण चाहने का कारण (प्रमाण संलग्न करें) --
10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा मेरे स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र न तो सीधे न ही किसी अन्य श्रोत से किसी उच्चाधिकारी को भेजा गया है, और न ही राजनीतिक / वाह्य दबाव डलवाया गया है।
11. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि स्थानान्तरण हेतु मेरे द्वारा किसी प्रकार का गैर विभागीय अथवा राजनीतिक दबाव डलवाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जायेगा।

दिनांक: ---------------------   --

कर्मचारी के हस्ताक्षर

<u>कर्मचारी के सेवा अभिलेख से प्रमाणित उपायुक्त (प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए) की अभ्युक्ति</u>

1- श्री :---के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा प्रतिकूल कार्यवाही चल/ नही चल रही है।

2- श्री :---की वर्तमान तैनाती प्रशासनिक आधार नहीं की गयी है।

3- कर्मचारी द्वारा स्तम्भ-9 में दिये गये कारण से सहमत/ असहमत हूँ, अत: स्थानान्तरण की संस्तुति की/ नही की जाती है।

हस्ताक्षर पदनाम (मुहर सहित)

संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर की स्पष्ट संस्तुति।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

-::प्रमाण पत्र::-

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल रुप में मय संलग्नक मुख्यालय को अग्रसारित किया जा रहा है। कर्मचारी का स्थानान्तरण इस जोन से अन्यत्र हो जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

जोनल अपर आयुक्त राज्य कर हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति

प्रारुप-ख

1- कर्मचारी का नाम --

2- पदनाम --

3- वर्तमान तैनाती का कार्यालय / जनपद / जोन / अनुभाग का नाम ------------------------
एवं तैनाती की तिथि --

4- गृह जनपद --

5- क्या वर्तमान में कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ --
का पदाधिकारी है यदि हॉ तो किस पद पर व कब से तथा
शासन की स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-13 के अन्तर्गत
सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

6- वर्तमान तैनाती के पूर्व 5 वर्षों की तैनातियों का विवरण :-

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक.............से दिनांक............तक)
1	2020-21		
2	2021-22		
3	2022-23		
4	2023-24		
5	2024-25		

7- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में सभी
तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये संस्तुति।

संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पद नाम (मुहर सहित)

8- जो प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा है, उससे मैं सहमत हूँ।

जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,
हस्ताक्षर (मुहर सहित)